

राजस्थान-सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राज0 जयपुर

क्रमांक:-एफ3(ख)(376/83)अलेसे-III/20168-20180

दिनांक 3-3-14

कार्यालय आदेश

श्री भागचन्द जैन, लेखाकार (लिंक नम्बर 639 मेरिट नं0 376/83) कार्यालय बाल विकास परियोजना अधिकारी, समेकित बाल विकास सेवाएँ, कोटडी (भीलवाडा) ने अपने पत्र दिनांक 17.01.2014 के द्वारा दिनांक 15.04.2014 से स्वेच्छिक सेवा निवृत्ति की स्वीकृति जारी करने का अचित माध्यम से आवेदन प्रस्तुत किया है ।

श्री भागचन्द जैन, लेखाकार की जन्म तिथि 01.07.1954 तथा राजकीय सेवा में प्रथम नियुक्ति तिथि 10.08.1973 है । इस प्रकार श्री जैन स्वेच्छिक सेवा निवृत्ति हेतु सभी शर्तें पूर्ण करते हैं । अतः राजस्थान सिविल सेवा पेंशन नियम 1996 के नियम 50 (1) के अन्तर्गत श्री भागचन्द जैन, लेखाकार को दिनांक 15.04.2014 मध्यान्ते पश्चात् से स्वेच्छिक सेवा निवृत्ति की एतद् द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है । यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री जैन, लेखाकार के विरुद्ध सीसीए नियमों में कोई विभागीय जांच लम्बित नहीं है ।



(वीरबाला जोशी)

निदेशक

दिनांक 3-3-14

क्रमांक:-एफ3(ख)(376/83)अलेसे-III/20168-20180

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1 निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
- 2 संयुक्त निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, अजमेर ।
- 3 बाल विकास परियोजना अधिकारी, समेकित बाल विकास सेवाएँ, कोटडी (भीलवाडा) को उनके पत्र क्रमांक स्था./2013-14/37 दिनांक 17.01.2014 के क्रम में ।
- 4 कोषाधिकारी, भीलवाडा ।
- 5 उपकोषाधिकारी, कोटडी (भीलवाडा) ।
- 6 निजी सहायक निदेशक महोदय ।
- 7 श्री भागचन्द जैन, लेखाकार कार्यालय बाल विकास परियोजना अधिकारी, समेकित बाल विकास सेवाएँ, कोटडी (भीलवाडा) ।
- 8 एसीपी, कम्प्यूटर शाखा (वेबसाइट में प्रकाशन हेतु) ।
- 9 गोपनीय शाखा/जॉच शाखा ।
- 10 पदस्थापन सीट/वरिष्ठता सीट/रक्षित पत्रावली



अतिरिक्त निदेशक {कार्मिक-1}